

—: आवश्यक सूचना :-

मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल मे पंजीबद्ध नर्सिंग संस्थाओ के रिन्युवल वेलीडिटी एवं नवीन नर्सिंग संस्था एवं सीट्स वृद्धि फार्म 2017-18 की ऑन लाईन करने के संबंध मे दिशानिर्देश

अंतिम तिथी:- 12.10.2017 से 06.11.2017 तक

1. मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल दिनांक 12.10.2017 से ऑन लाईन रिन्युवल वेलीडिटी की सेवायें प्रारंभ की जा रही है।
2. यह सेवायें आपके G2G Logine पर प्राप्त होगा। वहाँ पर Affiliation Mode पर जाना।
3. अपने G2G Logine के माध्यम से फार्म को भरना है। जिन संस्थाओ मे एक से अधिक कोर्स संचालित किये जा रहे है कोर्सवाइज चयन कर सही-सही सीट संख्या लिखना अनिवार्य है।
4. फार्म मे संचालित समिति के सदस्यों का सही-सही वर्णन लिखना अनिवार्य है। जो समिति वर्तमान मे संचालित है उन्हीं का वर्णन लिखा जाये।
5. टीचिंग फ़ैकल्टी की सही-सही जानकारी भरी जाये।
6. लाईब्रेरी संबंधित जानकारी जैसे कुल पुस्तको की संख्या जर्नल्स की संख्या, न्यूज पेपर की संख्या उपलब्ध सुविधाओ के अनुसार लिखे।
7. हॉस्पिटल संबंधित जानकारी को क्रमशः .जिला अस्पताल, शहरी, ग्रामीण, पेरेंट, एफिलियेटेड हॉस्पिटलो की जानकारी भरी जाये। (अगर एक से ज्यादा हॉस्पिटलो से सम्बद्धता है तो एड न्यू रिकोर्ड के माध्यम से भरी जा सकती है)
8. प्रीवियस वर्ष की फीस की जानकारी संलग्न करना अनिवार्य।
9. लेबोरिटी संबंधित जानकारी जिसमे 6 प्रकार की लेब की जानकारी सही एवं सत्य भरे।
10. फार्म को भरने के उपरांत निर्धारित एम.पी ऑन लाईन फीस का भुगतान कर फार्म को कौंसिल मे जमा किया जाना है फार्म के साथ केवल लास्ट ईयर की स्टेट एन.ओ.सी और वर्तमान वर्ष की आई.एन.सी की मान्यता प्राप्त का पत्र संलग्न करे।
11. वार्षिक निरीक्षण टीम वर्ष 2017-16 को उपरोक्त फार्म की एक प्रति समस्त दस्तावेजो के साथ फाईल मे संलग्न कर निरीक्षण दल को प्रस्तुत की जाये जिसे निरीक्षण दल अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर कौंसिल मे गोपनीय रूप से प्रस्तुत करेगी।
12. निर्धारित तिथी के उपरांत किसी भी नर्सिंग संस्था के फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

12/10/17
रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल

भोपाल